

आर.ई.ओ.-92



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651313 (का) फेक्स नं. 2651227

क्रमांक:- प्रनि/जोविनिनिलि/मु.अ./सीपीएम/अ.अ./अनु-पीपीएम/पत्रा०आर.ई.ओ./110सं० 1586 जोधपुर, दिनांक 3/12/04


आदेश

विषय :- गैर खातेदारी भूमि में कूपर पर कृषि कनेक्शन दिये जाने बाबत।

निगम की संशोधित कृषि नीति-2004(दिनांक 18/9/2004) के बिन्दु संख्या 22(iii)(घ) के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन मात्र खातेदारी भूमि पर ही देय है। गैर खातेदारी भूमि में कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है। इससे कृषक वर्षों से काबिज होने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन लेने से वंचित रहते हैं।

अतः ऐसे कृषकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से निगमों की समन्वय समिति की 77 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि गैर खातेदार कृषकों को भी राजस्व रिकार्ड के आधार पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।


[एच.एस.देवडा]
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।